

**न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)**  
**{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }**

**व्यवहार वाद क्र. 08-ए/2018**

**संस्थापन दि. 10.01.2018**

**फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/21/2018**

1. लाखन पिता बाबूलाल लिल्हारे, उम्र 51 वर्ष,
2. धमेन्द्र पिता लक्ष्मण लिल्हारे, उम्र 43 वर्ष,
3. राजेन्द्र पिता स्व. गोविंद लिल्हारे, उम्र 35 वर्ष,  
सभी जाति लोधी निवासी ग्राम खैरी पुलिस थाना एवं  
तहसील व जिला-बालाघाट(म0प्र0).....**आवेदकगण/वादीगण**

**// विरुद्ध //**

1. सीताबाई पति ताराचंद, उम्र 48 वर्ष, जाति लोधी,  
निवासी ग्राम गुडरू थाना चांगोटोला,  
तहसील व जिला बालाघाट
2. शशिकलाबाई पति अमरलाल मोहारे, उम्र 44 वर्ष,  
निवासी ग्राम पेण्डरई थाना ग्रामीण नवेगांव,
6. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा नजूल कलेक्टर बालाघाट,  
तहसील व जिला बालाघाट.....**अनावेदकगण/प्रतिवादीगण**

1. आवेदकगण/वादीगण द्वारा श्री विजय सोनी अधिवक्ता।
2. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 द्वारा श्री इन्द्रजीत गौतम अधिवक्ता।

**// आदेश //**

**{ आज दिनांक 22.03.2018 को पारित }**

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण/वादीगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक सिविल दावा वाद वास्ते घोषणार्थ पैतृक संपत्ति के संबंध में सहमति के आधार पर पूर्व में किया गया, नामांतरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में स्वत्व एवं मालिकी के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अंतिम निराकरण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विश्लेषण के पश्चात् ही संभव है एवं प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है, प्रतिवादीगण के द्व

रा राजस्व न्यायालय में बंटवारा हेतु प्रकरण 0039-अ21/17 सुशीला लाखन प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय तहसीलदार न्यायालय बालाघाट के समक्ष नियत है, उक्त प्रकरण में यदि माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारा कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्ण्य क्षतिकारित होगी एवं उन्हें अन्य प्रकरण में उलझना पड़ेगा, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा प्रथम दृष्टया वादी के ही पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के ही पक्ष में है, एवं अपरिमित क्षति का बिंदू भी वादीगण के ही पक्ष में है, ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रकरण को सिविल न्यायालय में विचाराधीन व्यवहार वाद प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है।

3. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया है कि पूर्व नामांतरण संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्तियों के अधिकार के मान से नामांतरण किया गया, अतः प्रस्तुत वाद जैसा कि प्रस्तुत किया गया है पोषणीय नहीं होने से वर्तमान आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन पत्र की कंडिका 2 स्पष्टतः अस्वीकार है कि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रं. 0039-अ-21/17 सुशीला बनाम लाखन जो प्रस्तुत किया गया है उसे स्थगित करने हेतु कोई पर्याप्त एवं उचित कारण है। वास्तव में प्रतिवादियों से जिसका संपत्ति में हक है एवं प्रतिवादीगण अपने हक के मान से धारा 178 म.प्र. भू.रा.सं. के अंतर्गत अपनी संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु अपना हिस्सा अलग कराने का अधिकार रखते हैं, इन परिस्थितियों में राजस्व कार्यवाही को स्थगित करने की स्थिति में प्रतिवादियों को अपूर्ण्य क्षति एवं संपत्ति के उपभोग कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे, इन परिस्थितियों में विधि एवं साम्य के सिद्धांतों के अनुसार परिस्थितियां प्रतिवादीगण के पक्ष में होने के कारण आवेदन अस्वीकार किया जाना न्यायासंगत होगा।

4. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया कोई वाद तथा वादीगण के अपरिमित क्षति कारित होने की संभावनाएं हैं, वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है, वास्तव में वादग्रस्त संपत्ति पूर्वजों के मालिकी की थी, जो पक्षों को बहैसियत वारिस प्राप्त हुई

है, यह स्थिति राजस्व प्रलेखों से स्पष्ट है, धारा 178 म.प्र. भू.रा.सं. के अनुसार अभिलिखित भूमि स्वामी को बंटवारा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, तथा उक्त प्रावधान के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के अधिकारिता में होने से न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दर्शित विषयों के संबंध में की जा रही कार्यवाही को रोका जाना विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक विवेक के अनुसार न्यायसंगत न होने से आवेदन निरस्त किया जाना उचित एवं विधिसम्मत होगा। अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1, 2 व्य.प्र.सं. सव्यय निरस्त किया जावे।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1- क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3- क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

#### सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

6. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/वादी ने यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमियां मूल पुरुष भददू के स्वामित्व व आधिपत्य की थी, भददू के दो पुत्र जो कि आवेदकगण के पिता बाबूलाल और अनावेदकगण के पिता मेहतर थे, उनके मध्य भददू की समस्त भूमि का बंटवारा दिनांक 08.02.2005 को हुआ था, किंतु पश्चात् में मेहतर और उसकी पुत्रियां अनावेदकगण क्रं. 1 व 2 ने दिनांक 10.06.05 को बाबूलाल के पुत्रों के पक्ष में सहमति पत्र दिया था कि बंटवारे में मेहतर को जो वादग्रस्त भूमियां प्राप्त हुई हैं, उस पर मेहतर और उसकी पुत्रियां अनावेदकगण क्रं. 1 व 2 किसी भी प्रकार से हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करेंगी और उक्त भूमि पर बाबूलाल के वारिसानों का अधिकार होगा, जिसके आधार पर संशोधन पंजी में आवेदकगण का नाम दर्ज हुआ, किंतु अनावेदकगण ने दिनांक 15.04.11 को अपने पिता मेहतरलाल को प्राप्त वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज करवा लिया है और वर्ष 2017 में तहसीलदार न्यायालय बालाघाट में उक्त संपत्ति के बंटवारे बाबत् आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है, जबकि अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति का हक छोड़ दिया गया था। अतः प्रथम

दृष्ट्या मामला उनके पक्ष में है, इसलिए आवेदकगण ने इस प्रकरण के निराकरण तक बंटवारा कार्यवाही को रोके जाने की सहायता चाही है।

7. अनावेदक क्रं. 1 व 2 का यह अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि में हित रखने के कारण उनके पक्ष में नामांतरण किया गया है, क्योंकि उनका संपत्ति में हक है और अपने हक के मान से उनके द्वारा धारा 171 म.प्र. भू. रा. संहिता के अंतर्गत अपनी संपत्ति के समूचित उपयोग हेतु अपना हिस्सा अलग कराने का अधिकार रखने के कारण उनके द्वारा तहसीलदार कि समक्ष बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, यदि उन्हें हक प्राप्त नहीं हुआ तो वादी के मुकाबले उन्हें अत्यधिक क्षति व असुविधा होने की संभावना है।

8. आवेदकगण की ओर से बंटवारा पत्रक 08.02.2005, सहमति पत्र 10.06.2005, वर्ष 2010-11 व, वर्ष 2017-18 का खसरा, व संशोधन पंजी दिनांक 01.09.2006 की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। अनावेदकगण की ओर से वर्ष 2016-17 के खसरे की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमियां आवेदक और अनावेदकगण की पैत्रक भूमि है, इस संबंध में उभय पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, किंतु इस संबंध में उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद भी नहीं है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत बंटवारा पत्र से यह स्पष्ट है कि भदू की भूमि का बंटवारा अनावेदकगण के पिता मेहतर की जीवित अवस्था में और आवेदक क्रं. 1 के पिता व आवेदक क्रं. 2 व 3 के दादा बाबूलाल की मृत्यु उपरांत दिनांक 08.02.2005 को हुआ है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत खसरा वर्ष 2010-11 से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमियों पर राजस्व दस्तावेज में आवेदकगण का नाम दर्ज रहा है, किंतु इसके पश्चात् के खसरों में आवेदकगण के साथ-साथ अनावेदक क्रं. 1 व 2 का नाम शामिलाली रूप से दर्ज रहा है जो कि वर्तमान में भी दर्ज है। उभय पक्ष के मध्य बंटवारा होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि शामिलाली रूप से दर्ज है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदकगण व अनावेदकगण क्रं. 1 व 2 मूल पुरुष भदू के पुत्र बाबूलाल और मेहतर की संताने होकर उनके वैध उत्तराधिकारी हैं।

9. यहां आवेदकगण का यह कथन है कि मेहतर और उसकी दोनों पुत्रियों अनावेदक क्रं. 1 व 2 ने दिनांक 10.06.05 को अपने हिस्से की वादग्रस्त



भूमियां जो कि उन्हें दिनांक 08.02.05 को बंटवारे में प्राप्त हुई थी, उसे आवेदकगण अर्थात् बाबूलाल के पुत्रों को दिये जाने के संबंध में सहमति पत्र निष्पादित किया था। इस आधार पर वह वादग्रस्त भूमियों के स्वामी हैं, जबकि अनावेदक क्रं. 1 व 2 ने सहमति पत्र निष्पादित किये जाने से इंकार किया है।

**10.** उक्त सहमति पत्र का अवलोकन किया जावे, यह स्पष्ट रूप से हक त्याग का दस्तावेज है क्योंकि उक्त दस्तावेज के आधार पर मेहतर व उसकी पुत्रियों ने वाद ग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा आवेदकगण के पक्ष में छोड़ा है। उक्त दस्तावेज मात्र सौ रुपये के स्टाम्प पर है और रजिस्टर्ड किया हुआ भी नहीं है। न्यायदृष्टांत *“श्रीमती रुकैयाबाई विरुद्ध श्रीमती मुन्नीबाई एक अन्य”*, 2004 (1) जे.एल.जे.206 में माननीय उच्च न्यायालय का यह सिद्धांत अनुकरणीय है कि किसी अचल संपत्ति में हक का त्याग किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज से अर्थात् रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख से ही हो सकता है, जो भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ हो, आवेदक की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर्ड नहीं है अतः उक्त दस्तावेज के आधार पर अनावेदक क्रं. 1 व 2 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हक का त्याग नहीं माना जा सकता है।

**11.** आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रारंभ से ही आवेदकगण का आधिपत्य चला आ रहा है, अनावेदक क्रं. 1 व 2 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। इस कारण भी वह उक्त वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह तथ्य अभिलेख पर है कि आवेदकगण व अनावेदकगण क्रं. 1, 2 बाबूलाल के पुत्र व मृत पुत्रों की संताने, व मेहतर की संताने हैं, और भददूलाल से उन्हें उक्त भूमियां पैतृक स्वरूप में प्राप्त हुई हैं, अतः उक्त भूमियों पर सभी का बराबर हक व अधिकार हैं न्यायदृष्टांत *“जहूरी शाह विरुद्ध द्वारिकाप्रसाद झुनझुनवाला”*, ए.आईआर. 967 सु.को.109 में प्रतिपादित यह सिद्धांत अनुकरणीय है कि विधि में अविभाजित संपत्ति का प्रत्येक सहस्वामी, उस पूरी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकारी होता है, संयुक्त स्वामित्व की किसी अचल संपत्ति पर किसी एक सह स्वामी वास्तविक भौतिक आधिपत्य नहीं भी हो तो अन्य सह स्वामियों के साथ ही उसके आधिपत्य की उपधारणा तब तक की जावेगी, जब तक की अभिवचनों और साक्ष्य से उसका

आउस्टर प्रमाणित नहीं हो जावे। अतः उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां अनावेदकगण की वादग्रस्त भूमि आवेदक के साथ राजस्व दस्तावेज में सुयुक्त रूप से दर्ज है और उसके संबंध में बंटवारा हेतु विधिवत् कार्यावाहियां सक्षम न्यायालय तहसीलदार बालाघाट के न्यायालय में की जा रही है, जिसमें की वादीगण को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है।

12. अतः प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में न होने से अपूर्ण्य क्षति और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है।

13. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक/वादी के पक्ष में न होने से आवेदक/वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत न होने से **निरस्त** किया जाता है।

14. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही /—  
(अपर्णा आर.शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—  
(अपर्णा आर. शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)